

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई.एस.ओ. 9001:2008 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक :

सचिव,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी-127021

सेवा में,

प्राचार्य

Modern College of Edu.....
Dehra (Panipat).....

क्रमांक 514005/डी.एड.सम्बद्धता

दिनांक 07-10-2020

महोदय/महोदया,

आपकी संस्था को महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा 2009-10 में दी गई अस्थायी सम्बद्धता के आधार पर शैक्षिक सत्र 20/9-2020 के लिये इस बोर्ड द्वारा निम्न शर्तों पर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था बोर्ड/ शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय - समय पर जारी किये जाते हैं, उनकी दृढ़ता से पालन करेगी।
2. बोर्ड/शिक्षा विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था किसी भी स्तर पर पाठ्य योजना में किसी भी प्रकार का संशोधन/ परिवर्तन नहीं करेगी।
3. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपनी संस्था का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवायेगी। बोर्ड द्वारा भवन एवं फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा।
4. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी जिससे नकल / इम्प्रसोनेशन एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
5. बोर्ड के निर्देश पर शिक्षकों/छात्रों का रिकार्ड तथ्यों की जांच हेतु उपलब्ध करवाया जायेगा।
6. संस्था का निरीक्षण बोर्ड द्वारा गठित कमेटी / नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
7. संस्था द्वारा एन.सी.टी.ई. के निर्देशानुसार गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाना अनिवार्य है।
8. स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
9. संस्था अपने मूल स्थान से भवन को दूसरी जगह एन.सी.टी.ई. की स्वीकृति के बिना शिफ्ट नहीं करेगी।
10. अस्थायी सम्बद्धता जारी रखने के लिये प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 50000/- रुपये सम्बद्धता शुल्क भेजा जाना आवश्यक है।
11. संस्था द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने की अवस्था में बोर्ड को संस्था की सम्बद्धता रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।

भवदीय

07/10/2020

अधीक्षक (सम्बद्धता)

कृते: सचिव